



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55077

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10439 वर्ष 2026

आकाश एवं अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: मोहम्मद शाफी, शुजाउद्दीन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. बीएनएसएस की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन, अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम, संभल (चंदौसी) द्वारा विशेष वाद संख्या 22 वर्ष 2023 के साथ साथ मुकदमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2023 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 970 वर्ष 2025 अन्तर्गत धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम थाना असमोली, जिला संभल (चंदौसी) में पारित आक्षेपित आरोप पत्र संख्या 238/2022 दिनांक 10.9.2022 के साथ-साथ संज्ञान आदेश दिनांक 5.4.2023 जो विद्वान अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम, संभल (चंदौसी) की अदालत में लंबित है, को रद्द करने के लिए दायर किया गया है और इसकी संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही निम्नलिखित मामले के आधार पर शुरू की गई थी:-
"(i) मुकदमा अपराध संख्या 218 वर्ष 2022, धारा 392, 411, 120-ख भारतीय दंड संहिता, थाना असमोली, जिला संभल।"
4. आगे यह कहा गया है कि उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 218 वर्ष 2022 में आवेदकगण के विरुद्ध कार्यवाहियां इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा धारा 482 के आवेदन संख्या 36227 वर्ष 2024 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.06.2025 के माध्यम से रद्द कर दी गई हैं, जिसकी प्रति इस आवेदन के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न की गई है।
5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूंकि आधारभूत मामले में कार्यवाही रद्द कर दी गई है, इसलिए अब अभियोजन के पास आवेदकगण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही शुरू करने का

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कोई वाद हेतूक शेष नहीं है। यह आगे कहा गया है कि एक बार आधारभूत मामले में कार्यवाही रद्द हो जाने के बाद, गैंगस्टर अधिनियम के तहत वर्तमान कार्यवाहियां नहीं चलाई जा सकतीं।

6. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2024 0 आईएनएससी 118] द्वारा पारित निर्णय पर अवलम्ब लिया है, और कहा है कि एक बार कार्यवाही रद्द हो जाने के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, इसलिए संपूर्ण कार्यवाही पोषणीय नहीं है और इस न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

7. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि आधारभूत मामले के रद्द होने या बरी होने या खारिज होने के कारण गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती। गैंगस्टर अधिनियम के तहत आक्षेपित आरोप पत्र को रद्द नहीं किया जा सकता।

8. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 11117 वर्ष 2024, निर्णय दिनांक 03.05.2024] में पारित निर्णय पर अवलम्ब लिया।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आधारभूत मामले की कार्यवाहियां अब आवेदकगण के विरुद्ध लंबित नहीं हैं और एक बार गैंग चार्ट में दर्शाए गए आधारभूत मामले की कार्यवाहियां रद्द हो जाती हैं या आवेदक बरी हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत कार्यवाहियां रद्द किए जाने योग्य हैं।

10. फरहाना (उपरोक्त) के हालिया निर्णय में, जिसका फैसला 19.02.2024 को हुआ था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाहियों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आवेदक के विरुद्ध दिखाया गया आधारभूत मामला उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। फरहाना (उपरोक्त) के प्रासंगिक पैराग्राफ यहाँ पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

"12. गैंगस्टर अधिनियम की धारा 2(ख)(i) के परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति के गिरोह का सदस्य होने का आरोप है, उसे उन असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाना चाहिए जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI, या XVII या XXII के तहत दंडनीय अपराधों के अंतर्गत आती हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन द्वारा तैयार किया गया मामला ऊपर उद्धृत धारा 2(ख)(i) तक सीमित है और प्रस्तावित अभियोजन के लिए प्रावधान के किसी अन्य खंड का सहारा नहीं लिया गया है।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध के लिए आरोप तय करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत अभियुक्त के अभियोजन को जारी रखने के लिए, अभियोजन को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि अपीलकर्ताओं पर धारा 2(ख) के तहत परिभाषित असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले किसी एक या अधिक अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है।

14. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVII के तहत पंजीकृत एकमात्र प्राथमिकी, जो अपराध संख्या 173 वर्ष 2019 है, की कार्यवाहियों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदन संख्या 7228 वर्ष 2023 में पारित आदेश दिनांक 3 मार्च, 2023 के



माध्यम से उक्त प्राथमिकी को रद्द कर दिए जाने के बाद अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त कर दिया गया है।

15. अतः, गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ताओं के अभियोजन को जारी रखने का आधार ही समाप्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप, उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं का निरंतर अभियोजन अनुचित है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है।

16. ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 14 नवंबर, 2022 और 6 दिसंबर, 2022 को रद्द और अपास्त किया जाता है।"

11. पूर्ववर्ती चर्चा के आलोक में, चूंकि आधारभूत मामले की कार्यवाहियां अब आवेदकगण के विरुद्ध लंबित नहीं हैं, इसलिए अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर अधिनियम, संभल (चंदौसी) की अदालत में विशेष वाद संख्या 22 वर्ष 2023 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 970 वर्ष 2025 के साथ-साथ थाना असमोली, जिला संभल (चंदौसी) के मुकदमा अपराध संख्या 01 वर्ष 2023 में धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत पारित आरोप पत्र संख्या 238/2022 दिनांक 10.9.2022 और संज्ञान आदेश दिनांक 5.4.2023 तथा उक्त मामले की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को केवल वर्तमान आवेदकों के अनुसरण में एतद्वारा रद्द किया जाता है।

12. वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"